भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *40
दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

*40. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री मितेश पटेल बाकाभाई

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022-26 के दौरान कार्यान्वित किए जा रहे संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;
(ख) इस योजना के प्रारंभ से लेकर इसका कुल वित्तीय परिव्यय कितना है और अब तक वर्ष-बार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तथा जबलपुर, जालौर और सिरोही जिलों सहित जिला-बार कितनी धनराशि जारी की गई और उपयोग में लाई गई है;
(ग) क्या संशोधित योजना के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन या समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के अतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं का आन्ध्र प्रदेश सहित राज्य-बार ब्यौरा क्या है;
(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विशेषकर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और डिजिटल सक्षमता पहलों के माध्यम से क्या कदम उठाए गए है;
(च) सीधी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को उक्त योजना से हुए लाभों का ब्यौरा क्या है; और
(छ) आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में उक्त योजना के अंतर्गत कितने जनप्रतिनिधियों ने बुनियादी प्रबोधन प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त किया है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 40 जिसका उत्तर दिनांक 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के मुख्य उद्देश्य/विशेषताएं इस तरह हैं:

(i) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में नेतृत्व भूमिका के लिए क्षमता बढ़ाना ताकि ग्राम पंचायतें सरकार के तीसरे लेवल के तौर पर असरदार तरीके से काम कर सकें;

(ii) ग्राम सभाओं को मज़बूत करना ताकि वे पंचायत सिस्टम में लोगों की भागीदारी के बेसिक मंच के तौर पर असरदार तरीके से काम कर सकें।

(iii) पंचायत प्रशासनिक क्षमता में अच्छे गवर्नेंस और पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए ई-गवर्नेंस और अन्य प्रौद्योगिकी वाले समाधान को बढ़ावा देना;

(iv) संविधान और पेसा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को अधिकार और ज़िम्मेदारियां सौंपना; आदि।

(ख) वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए नवीकृत आरजीएसए का वित्तीय परिव्यय 5911 रूपए करोड़ है, जिसमें 3700 करोड़ रूपए का केंद्र का हिस्सा शेयर और 2211 करोड़ रूपए का राज्य का हिस्सा शामिल है। आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी और उपयोग की गई धनरशि की स्थिति **अनुलग्नक-I** में है। इस स्कीम के तहत, धनराशि सीधे ज़िलों को नहीं, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है।

(ग) पुनर्गठित आरजीएसए का एक बाहरी मूल्यांकन ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आनंद (इरमा) के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन में 16 राज्यों के 60 जिलों के 120 प्रखंडों में 600 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 6,000 से अधिक हितधारकों—जैसे निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत कर्मी, लाइन विभागों के अधिकारी, प्रशिक्षक/फैकल्टी तथा आरजीएसए की राज्य/जिला इकाइयाँ—शामिल थे। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग ने भी आरजीएसए के परिणामों पर पूरक साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन का कार्य सौंपा है।

मूल्यांकनों से संकेत मिलता है कि योजना की संरचित और बहु-स्तरीय क्षमता-निर्माण प्रक्रिया (जिसमें कक्षा आधारित/विषयगत मॉड्यूल, परिचयात्मक यात्रा तथा डिजिटल शिक्षण शामिल हैं) ने पंचायत संचालन, योजना एवं क्रियान्वयन (जीपीडीपी सहित), डिजिटल शासन, जन-सहभागिता और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की क्षमताओं को सुदृढ़ किया है। प्रशिक्षण के बाद किए गए आकलनों में ज्ञान और व्यवहार दोनों में स्पष्ट एवं मापनीय सुधार दर्ज किए गए हैं, जो अधिक प्रभावी स्थानीय शासन तथा सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण को समर्थन प्रदान करते हैं।

योजना के कार्यान्वयन की निकटता से निगरानी राज्य अधिकारियों आदि के साथ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है। आरजीएसए की केंद्रीय प्राधिकार समिति (सीईसी) किसी राज्य की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) को अनुमोदित करते समय कार्यान्वयन की प्रगति तथा निधियों के उपयोग को ध्यान में रखती है। निधि रिहाई के विनियमन हेतु राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज, जैसे उपयोग प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्टें, नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए स्मरण कराया जाता है।

(घ) योजना के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत अवसंरचना, जैसे ग्राम पंचायत भवन तथा कम्प्यूटर, का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण किया जाता है, जिसमें ग्राम पंचायत भवनों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का सीमित स्तर पर सह-स्थितिकरण भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार, आर्थिक विकास तथा आय-वृद्धि से संबंधित उन परियोजनाओं के लिए सहायता दी जाती है जिनका उद्देश्य पुनरुत्पादित किए जा सकने वाले श्रेष्ठ-प्रथा मॉडल विकसित करना है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण, आंध्र प्रदेश सहित, **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(ड) और (च) यह योजना पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाने के मुख्य उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देकर उनमें नेतृत्व की भूमिका निभाने की अभिशासन क्षमता का विकास किया जाएगा, ताकि पंचायतें प्रभावी रूप से काम कर सकें। सीधी लोकसभा सीट सहित सभी राज्यों/संघ राज्य द्वारा जमा किए गए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार आरजीएसए का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत, धनराशि सीधे ज़िलों को नहीं, बल्कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है।

संशोधित योजना के तहत पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विभिन्न श्रेणियों में सहायता की जाएगी, जैसे बुनियादी अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि। विभिन्न प्रशिक्षणों के अलावा योजना में एक्सपोजर विजिट, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री के विकास आदि के लिए भी सहायता दी जाती है। इसके अलावा, नेतृत्व/ प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) के अंतर्गत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल भी की गई है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की नई स्कीम के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से पंचायतों की ई-गवर्नेंस क्षमताओं को बढ़ाने में मदद मिली, जिससे पंचायत गवर्नेंस में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता सुनिश्चित हुआ। इसे ई-ग्राम स्वराज जैसी पहलों के ज़रिए किया जाता है, जिससे पंचायतें अपने सालाना पंचायत विकास योजना (पीडीपी) ऑनलाइन तैयार और अपलोड कर सकती हैं, और आसान वित्तीय लेन-देन और पारदर्शी खरीद के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकरण किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित कई एप्लीकेशन पंचायतों के कार्यों को सुदृढ़ करते हैं और आम नागरिकों को जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं। मेरी पंचायत ग्राम पंचायत स्तर पर योजना, गतिविधियों और प्रगति से संबंधित डैशबोर्ड उपलब्ध कराती है। पंचायत निर्णय ग्राम सभा की कार्यवाही के संचालन और अभिलेखीकरण में सहायता करता है। ऑडिटऑनलाइन पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा देता है, जिसमें केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का ऑडिट भी शामिल है।

(छ) वर्ष 2022-23 से आंध्र प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्निर्मित आरजीएसए योजना के अंतर्गत बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या **अनुलग्नक-III** में दी गई है।

****

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 40 जिसका उत्तर दिनांक 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के संबंध में अनुलग्नक

वर्ष **2022-23 से 2025-26 तक (24.11.2025 तक) संशोधित आरजीएसए के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी और इस्तेमाल की गई धनराशि की स्थिति**

(राशि करोड़ में)

क्र. सं	राज्य का नाम	2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि	जारी धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	21.35	2.52	59.66	50.00	18.32
2	अरुणाचल प्रदेश	108.69	132.45	72.09	89.97	70.00	77.94	70.00	41.14
3	असम	55.29	95.15	77.70	91.41	60.00	72.60	65.71	40.45
4	बिहार	33.37	70.07	25.00	51.81	0.00	78.05	25.00	20.72
5	छत्तीसगढ़	0.00	29.52	17.57	22.25	16.50	34.13	20.00	18.49
6	गोवा	0.00	1.12	0.89	1.00	1.35	1.29	0.00	1.29
7	गुजरात	0.00	0.01	0.00	1.28	0.00	15.48	15.00	3.46
8	हरियाणा	0.00	3.06	0.00	8.84	5.00	8.24	12.50	28.78
9	हिमाचल प्रदेश	60.65	37.49	19.31	69.30	27.21	43.13	10.00	17.12
10	जम्मू और कश्मीर	40.00	57.75	65.00	98.61	65.00	57.89	50.00	44.54
11	झारखंड	0.00	18.44	31.00	25.95	0.00	26.56	7.50	10.92
12	कर्नाटक	36.00	25.67	20.00	39.01	16.25	49.52	10.00	17.31
13	केरल	30.40	23.13	10.00	37.04	10.00	32.65	10.50	18.43
14	मध्य प्रदेश	28.00	145.17	32.17	74.16	40.00	96.92	50.00	22.80
15	महाराष्ट्र	37.84	129.03	116.12	194.26	80.00	134.81	57.50	62.98
16	मणिपुर	8.63	3.31	9.56	8.34	0.00	3.91	3.55	8.14
17	मेघालय	0.00	6.41	6.00	6.26	8.00	7.60	7.50	2.42
18	मिजोरम	14.27	25.48	10.00	15.64	12.00	22.69	15.00	13.81
19	नागालैंड	0.00	0.00	10.00	5.46	10.00	18.28	10.00	143.00
20	ओडिशा	11.40	24.83	27.33	44.22	20.00	60.15	40.00	42.30
21	पंजाब	34.25	42.91	10.00	23.06	5.00	23.89	20.00	29.01
22	राजस्थान	0.00	32.41	21.72	40.12	15.00	30.88	0.00	20.45
23	सिक्किम	6.01	4.98	6.00	7.90	7.00	7.35	5.00	3.32
24	तमिलनाडु	25.42	8.53	0.00	25.98	45.00	63.79	20.00	27.04
25	तेलंगाना	0.00	3.19	20.00	20.47	0.00	9.05	0.00	19.11
26	त्रिपुरा	9.80	3.76	7.43	10.96	10.00	20.29	30.00	16.68
27	उत्तर प्रदेश	85.05	96.33	84.13	158.95	38.77	180.84	30.24	33.90
28	उत्तराखंड	42.48	57.15	64.67	66.29	50.00	63.72	25.00	6.29
29	पश्चिम बंगाल	4.28	50.89	33.69	57.32	52.68	82.68	35.00	53.58
30	अंडमान एवं निकोबार	0.00	1.03	0.79	1.28	2.12	1.18	1.00	0.95

	द्वीप								
31	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1.14	4.50	1.00	0.38	1.00	0.00	1.00	0.84
32	लद्दाख	0.00	1.52	1.00	0.80	0.00	0.58	0.00	
	कुल	**672.97**	**1128.25**	**800.17**	**1317.21**	**670.40**	**1385.75**	**697.00**	**787.59**

नोट: धनरशि के उपयोग में गत वर्ष की शेष रशि और राज्य का हिस्सा शामिल है।

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 40 जिसका उत्तर दिनांक 02/12/2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए के अंतर्गत अनुमोदित आर्थिक विकास एवं आय वृद्धि परियोजनाओं का विवरण (वर्तमान तिथि तक)।

क्रम सं.	राज्य	वर्ष	स्वीकृतपरियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं कीलागत (रुपये करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	2025-26	3	11.00
2	गोवा	2025-26	2	0.09
3	छत्तीसगढ़	2023-24	1	2.00
4	बिहार	2022-23	1	9.53
5	असम	2023-24	1	1.50
6	मध्यप्रदेश	2022-23	2	18.00
		2023-24	1	2.00
		2025-26		
7	ओडिशा	2025-26	1	3.71
8	महाराष्ट्र	2023-24	1	3.08
9	उत्तराखंड	2022-23	2	9.23
		2023-24	1	11.74
10	हिमाचल प्रदेश	2023-24	2	4.00
11	सिक्किम	2023-24	1	0.62
12	कर्नाटक	2022-23	1	3.17
13	झारखंड	2023-24	1	2.00
14	तमिलनाडु	2025-26	2	3.72
कुल			**23**	**85.39**

वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक आरजीएसए के अंतर्गत अनुमोदित अभिनव परियोजनाओं का विवरण (वर्तमान तिथि तक)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष	अनुमोदितपरियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं कीलागत (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2025-26	1	5.50
2	अरुणाचल प्रदेश	2025-26	1	2.00
3	असम	2025-26	1	3.20
4	बिहार	2023-24	1	3.24
5	बिहार	2025-26	1	0.52
6	गोवा	2025-26	2	0.44
7	मध्य प्रदेश	2025-26	2	10.15
8	पश्चिम बंगाल	2023-24	6	12.89
		2025-26	3	6.30
9	छत्तीसगढ़	2025-26	1	3.00
10	नागालैंड	2022-23	2	3.62

11	त्रिपुरा	2023-24	1	0.20
12	महाराष्ट्र	2023-24	2	4.00
13	सिक्किम	2023-24	2	2.50
14	गुजरात	2023-24	1	0.72
15	राजस्थान	2023-24	1	1.27
16	तेलंगाना	2023-24	1	2.00
कुल			**29**	**61.55**

अनुलग्नक-III

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संबंध में लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 40 जिसका उत्तर दिनांक 02.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (छ) के संबंध में अनुलग्नक

वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान संशोधित आरजीएसए स्कीम के तहत बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थिति (25.11.2025 तक)

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	बुनियादी/सामान्य अभिविन्यास प्रशिक्षण	पुनश्चर्या प्रशिक्षण
1	आंध्र प्रदेश	35,853	129,042
2	अरुणाचल प्रदेश	6,055	7,013
3	असम	63,824	536,415
4	बिहार	398,596	125,573
5	छत्तीसगढ़	191,858	36,316
6	गोवा	2,002	67
7	गुजरात	8,456	23
8	हरियाणा	8,896	63,885
9	हिमाचल प्रदेश	16,636	27,040
10	झारखंड	119,206	9,383
11	कर्नाटक	24,698	54,670
12	केरल	23,929	12,315
13	मध्य प्रदेश	155,889	37,271
14	महाराष्ट्र	453,145	145,635
15	मणिपुर	1,933	270
16	मेघालय	12,738	5,491
17	मिजोरम	3,255	139
18	नागालैंड	1,003	47
19	ओडिशा	155,088	63,695
20	पंजाब	82,612	4,965
21	राजस्थान	58,723	36,863
22	सिक्किम	3,628	934
23	तमिलनाडु	20,106	83,935
24	तेलंगाना	4,359	66
25	त्रिपुरा	10,248	1,557
26	उत्तर प्रदेश	214,482	3,839
27	उत्तराखंड	13,984	2,875
28	पश्चिम बंगाल	86,186	76,323
	केंद्र शासित प्रदेश		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,038	0
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	327	200
31	जम्मू और कश्मीर	684	24
	कुल	**2,179,437**	**1,465,871**